प्रेस विज्ञप्ति
30.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने धन-शोधन के अपराध की जांच के दौरान **अल्केमिस्ट समूह की कंपनियों** से संबंधित **29.45 करोड़ रुपए कीमत** की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में एक विमान बीच किंग एयर सी-90ए, शिमला, सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) और कटनी (मध्य प्रदेश) जिलों में स्थित फ्लैट और भूमि शामिल हैं। अल्केमिस्ट समूह का नेतृत्व कंवर दीप सिंह, पूर्व सदस्य राज्यसभा, एआईटीसी द्वारा किया जाता है ।

ईडी ने अल्केमिस्ट रियल्टी लिमिटेड द्वारा हरियाणा के पंचकुला में पार्श्वनाथ रोयाल प्रोजेक्ट में खरीदे गए कुल 18 फ्लैटों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के क्योंथल, शिमला ग्रामीण जिले और सिरमौर जिले में स्थित क्रमशः लगभग 250 बीघे और 78 बीघे की भूमि कुर्क की गई है।

ईडी ने सीबीआई, लखनऊ, कोलकाता पुलिस और यूपी पुलिस द्वारा अल्केमिस्ट ग्रुप की समूह कंपनियों और कई व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स अल्केमिस्ट ग्रुप ने निवेशकों/पीड़ितों से उच्च रिटर्न प्रदान करने और निवेश पर फ्लैट/विला/प्लॉट/उच्च ब्याज दर देने के झूठे वादे पर मैसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और मैसर्स अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड नामक इसकी कंपनियों के नाम पर 1800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अर्जित की। हालाँकि, निवेशकों/जनता को उनका पैसा कभी नहीं लौटाया गया और धनराशि को अल्केमिस्ट समूह की विभिन्न समूह कंपनियों में भेज दिया गया।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि अल्केमिस्ट समूह ने झूठे वादों पर पीड़ितों/निवेशकों से अर्जित अपराध की आय से संपत्ति हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई कंपनियां बनाई थीं। यह भी पता चला है कि अलकेमिस्ट समूह द्वारा तीसरे पक्ष के नाम पर जमीन के बड़े भूखंड खरीदे गए थे ताकि ऐसी संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व को छिपाया जा सके।

ईडी ने इस मामले में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी (एआईटीसी) से संबंधित **10.29 करोड़ रुपए** भी कुर्क किए हैं। अल्केमिस्ट समूह ने एआईटीसी की ओर से विमानन कंपनियों को भुगतान करने के लिए अपराध की आय का उपयोग किया था।

आगे की जांच जारी है।